


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122022-241527
CG-DL-E-30122022-241527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5932]
No. 5932]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6177(अ).—डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत जारी ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के लिए 'व्यापार मार्जिनयु क्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद विक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम खुदरा मूल्य को नियत/संशोधित करने से संबंधित दिनांक 3 जून, 2021 के का.आ.2161(अ), दिनांक 30 नवंबर, 2021 के का.आ.4909(अ), 30 मई, 2022 के का.आ. 2465(अ) और 30 जून, 2022 के का.आ.2983 (अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, ऑक्सीजन सांद्रक (कांसेंट्रेटर्स) के व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण से उत्पाद की विक्री के पहले बिंदु(वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें नियत करने संबंधी 31 दिसंबर, 2022 तक की अधिसूचना को 31 मार्च 2023 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

2. दिनांक 3 जून 2021 के का.आ. 2161(अ) की टिप्पणियां (ख) से (न) तक इस आदेश के जारी होने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[कां.सं./238/106/2022/एफ फा.सं.8(106)/2022/डीपी/एनपीपीए/डि.वी.।।]

ORDER

New Delhi, 30th December, 2022

S.O. 6177(E).—the National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2161 (E) dated 3rd June 2021, S.O. 4909 (E) dated 30th November 2021, S.O. 2465 (E) dated 30th May 2022 and 2983(E) dated 30th June 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of Oxygen Concentrators at first point of sale (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of the product. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of Oxygen Concentrator at first point of sale (price to distributor) up to 31st December 2022 is further extended up to 31st March 2023 or till further order, whichever is earlier.

2. The Notes (b) to (n) of the Notification S.O. 2161(E) dated 3rd June 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[PN/238/106/2022/F F. No. 8(106)/2022/DP/NPPA-Div.-II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director